

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस

अपील संख्या: 30/18
(आरसीएमएस संख्या 2018/00178)


निर्णय दिनांक:- 04-12-2019

1. आनन्द कुमार पुत्र श्री शिवरतन जाति साध निवासी मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर

-अपीलांट

-बनाम-

1. भागीरथ
2. किशनलाल
3. शिवरतन
4. बिशनलाल
5. राजेन्द्र
6. महेन्द्र
7. मेघराज
8. चम्पा देवी पत्नी श्री खेताराम, जाति साध, निवासी पुष्करणा स्टेडियम के पीछे, बीकानेर।
9. बुला देवी पुत्री श्री खेताराम, जाति साध, निवासी पुष्करणा स्टेडियम के पीछे, बीकानेर।
10. अंशु पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति मोदी, निवासी ए-23, सार्दुलगंज के पीछे, बीकानेर
11. अनुज पुत्र श्री अशोक कुमार जाति ब्रहामण, निवासी 23, सार्दुलगंज के पीछे, बीकानेर
12. लोकेश पुत्र श्री सुरेश नारायण, जाति ब्रहामण, निवासी ए 10 गांधी कॉलोनी, बीकानेर।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बीकानेर।




-रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 22.02.2018
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, बीकानेर
प्रार्थना-पत्र बाबत प्राथमिक आपत्ति

उपस्थित:-

1. श्री विनोद पुरोहित अभिभाषक प्रार्थी(रेस्पोडेन्ट सं. 12)
2. श्री विवेक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी (अपीलांट)


राजस्थान राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

1. पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं, कि विचाराधीन प्रकरण 30/2018 आनन्द कुमार -बनाम- भागीरथ वगै. में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट नं. 12 की ओर से प्रार्थना-पत्र बाबत प्राथमिक आपत्ति का इस आशय का पेश किया गया कि अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक जिलाधीश, बीकानेर के निर्णय दिनांक 22.02.2018 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 151 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दावा खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा था, जिस पर अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील प्रदत्त कर दावा खारिज कर दिया। धारा 151 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना-पत्र पर प्रदत्त आदेश कानूनन अपील योग्य नहीं होने से अपील मेन्टेनेबल नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी प्राथमिक एतराज पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्राथमिक आपत्ति का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रस्तुत अपील को इसी स्तर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिलिपि अभिभाषक अप्रार्थी (अपीलांट) को दिलवाई गई। अप्रार्थी/अपीलांट की ओर से जबाब प्रार्थना-पत्र पेश किया गया जिसमें कथन किया गया है, कि उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2018 के खिलाफ पेश की गई है, जो सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), बीकानेर द्वारा राजस्व वाद सं. 1/114 अनवानी आनन्द कुमार -बनाम- भागीरथ आदि में प्रार्थना-पत्र धारा 151 सी.पी.सी के अन्तर्गत वादी का वाद-पत्र खारिज किया गया था। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 22.02.2018 को पारित किया गया था। अपीलांट द्वारा दिनांक 22.02.2018 को पारित निर्णय व डिक्री के खिलाफ उक्त अपील पेश की गई है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि निर्णय व डिक्री की अपील होती है। उन्होने आगे बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के अन्तर्गत Appeals from original decrees- An appeals shall lie from an original decree -(i) to the collector if such decree is passed by a Tehsildar, and (ii) to the [revenue appellate authority] if such decree is passed by an Assistant collector, a sub Divisional Officer or a Collector उक्त प्रावधान के अनुसार डिक्री अपील माननीय न्यायालय को सुनने का कानूनन अधिकार है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मामले को डिले करने के लिए पेश किया गया है। तथा उक्त निर्णय व डिक्री कानून में मेन्टेनेबल है। अतः जबाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थी लोकेश कुमार का प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया



निवेदन
जोषी
बीकानेर

2. दौराने बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी(रेस्पोडेन्ट सं. 12) द्वारा प्रार्थना-पत्र के कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि मातहत

न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.02.2018 धारा 151 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना-पत्र पर किया गया है। धारा 151 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना-पत्र पर प्रदत्त आदेश विधिअनुसार अपील योग्य नहीं होने से अपील मेन्टेनेबल नहीं है। कानूनन धारा 151 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत प्रदत्त आदेश की रिवीजन ही की जा सकती है। अतः प्रार्थना-पत्र प्राथमिक आपत्ति का स्वीकार कर अपील इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावें। वकील प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये-

(1) डी.एन.जे. 1995 पेज सं. 675 रामसिंह व अन्य -बनाम- अमरा व अन्य

(2) आर.आर.टी.2002(1) पेज सं. 272 भंवराराम व अन्य -बनाम- शिवराम व अन्य

(3) ए.आई.आर. 2004 पेज सं. 2093 एस.सी. सीपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड -बनाम- मकार्डो ब्रदर्स व अन्य

(4) डी.एन.जे. 1995(1) पेज सं. 60 भियाराम -बनाम- हुकमाराम

(5) ए.आई.आर. 1999 पेज नं. 118 जकीना बेन व अन्य -बनाम- बाबुबेन अलीमोहम्मद कपाडिया व अन्य



3. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी(अपीलांट) द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि मातहत न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 22.02.2018 की बाकायदा डिक्री जारी की गई है, तथा धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के तहत सहायक कलेक्टर द्वारा जारी किसी भी निर्णय वडिक्री की न्यायालय श्रीमान् में अपील मेन्टेनेबल है। अतः प्रस्तुत अपील विधि अनुसार ही की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र प्राथमिक आपत्ति खारिज फरमाया जावें।

4. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय सहायक कलेक्टर मु. बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 में स्पष्ट अंकित किया गया है, कि "धारा 151 सी.पी.सी. के **inherent power** इस न्यायालय को प्राप्त है, तथा इसी प्राप्त अधिकारों के आधार पर दावा बोगस होने से खारिज योग्य हो जाता है। हम योग्य अभिभाषक प्रार्थी, प्रतिवादीगण की इस बहस से पूरी तरह सहमत है, तथा वादी का वाद-पत्र धारा 151 सी.पी.सी. के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खारिज करते हैं।"

अप्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत जबाब प्रार्थना-पत्र के बिन्दु सं. 4 में उक्त कथन को स्वीकार किया गया है, कि न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), बीकानेर द्वारा राजस्व वाद सं. 1/114 अनवानी आनन्द कुमार -बनाम- भागीरथ आदि में प्रार्थना-पत्र धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत वादी का वाद-पत्र खारिज किया गया था।


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है, कि मातहत न्यायालय का आदेश दिनांक 22.02.2018 प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के तहत दिया गया है।

Bal
राजस्थान न्यायालय अधिकारी
बीकानेर

चुकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना-पत्र 151 सी.पी.सी. पर आदेश जारी करने के साथ ही डिक्री भी जारी की है, जो कि अनावश्यक प्रतीत होती है, परन्तु फिर भी प्रकरण में मूल प्रश्न यह है, कि क्या प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील संधारण योग्य है ?


अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया।

- (a) न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. 1995 पेज सं. 675 रामसिंह व अन्य -बनाम- अमरा व अन्य में माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया है, कि Civil procedore code, 1908-O.39 R.1 & sec. 151- Application rejected under O.39 R.1 and ad. interim order passed u/s 151-hald, order is revisable.



- (b) न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी.2002(1) पेज सं. 272 भंवराराम व अन्य -बनाम- शिवराम व अन्य में माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया है, कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 212 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908- यह निगरानी भू-प्रबन्ध अधिकारी, पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के निर्णय दिनांक 17.10.1995 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसमें उन्होंने विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 12.07.1990 को निरस्त किया है- यह किया गया है, कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 15.10.1989 को धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अंतरिम एकतरफा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया, लेकिन उसकी पालना अप्रार्थी द्वारा नहीं की जा रही थी, इसके लिए प्रार्थी ने धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत पुलिस मदद के लिए प्रार्थना-पत्र पेश किया जो उन्होंने दिनांक 12.07.1990 को स्वीकार कर लिया, इसलिए यह आदेश जो विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया है, वह धारा 151 जाप्ता दीवानी के तहत दिया गया है। उक्त आदेश के विरुद्ध धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपील नहीं हो सकती, इसलिए भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर का निर्णय दिनांक 17.10.1995 क्षेत्राधिकारी के खिलाफ है, इस कारण से यह निगरानी स्वीकार की गई एवं भू- प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 17.10.1995 को निरस्त किया गया।

- (c) न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 2004 पेज सं. 2093 एस.सी. सीपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड -बनाम- मकार्डो ब्रदर्स व अन्य में माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया है, कि Civil P.C. Ss.115,151- Revision-against Dismissal of application made under section 151 is maintainable- such orders is not appealable.


संयुक्त अपील अधिकारी
की कालेज

(d) न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे. 1995(1) पेज सं. 60 भियाराम -बनाम- हुकमाराम में माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया है, कि धारा 151 तथा आदेश 39 नियम 1 व 2- इसके अन्तर्गत दिया आदेश क्या अपील होगी अथवा पुनरीक्षण? अभिनिर्धारित जहा पर धारा 151 की शक्तियों के अधीन कार्यवाही की गई हो, तो पुनरीक्षण होगा, तथा जब आदेश 39 नियम 1 व 2 के अन्तर्गत आदेश हो तो अपील होगी। राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसे निर्देश दिये गये हैं।


(e) न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1999 पेज नं. 118 जकीना बेन व अन्य -बनाम- बाबुबेन अलीमोहम्मद कपाडिया व अन्य में माननीय न्यायालय ने निर्धारित किया है, कि Civil P.C. (5 of 1908), Ss. 115, 151- Order under section 151- Appeal against does not lie- Revision is maintainable.

5. उपरोक्त सभी न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय न्यायालयों द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है, कि धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत जारी आदेश पुनरीक्षण योग्य होते हैं, अपील योग्य नहीं। प्रकरण की विवेचना में यह स्पष्ट हो चुका है, कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2018 मातहत न्यायालय द्वारा धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अनावश्यक रूप से जारी डिक्री के कारण किसी न्यायालय को क्षेत्राधिकार उत्पन्न नहीं होता है। अतः प्रश्नगत अपील इस न्यायालय में संधारण योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी(रिस्पोंडेंट सं. 12) का प्रार्थना-पत्र बाबत प्राथमिक आपत्ति का स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार के बिन्दु पर इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राम रतन साँकरिया)
राजस्थान अपील प्राधिकारी
बीकानेर

